

प्रेषण

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 04 मई, 2018

विषय:- ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे ज्याने ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कामिकों को एसी०पी० के रूप में प्रोलंति वेतनमान की अनुमत्यता निर्धारित किया जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 132 / XXVII(7)40 / 2018 दिनांक 04 मई, 2018 का कृपया संदर्भ मण्डन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे ज्याने ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कामिकों को एसी०पी० के रूप में प्रोलंति वेतनमान की अनुमत्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

2. वित्तीय नियमों एवं उक्त वर्णित शासनादेश में उपबन्धित व्यवस्था से इतर यदि किसी प्रकरण में अधिक भूगतान की स्थिति दृष्टिगोचर होती है तो कृपया नियमानुसार वेतन/पेशन पुनर्निर्धारित करते हुये वित्तीय हस्त पुस्तक खण्ड-5 के भाग-1 के प्रस्तार-81 (3) की व्यवस्थानुसार सम्बन्धित सरकारी सेवक के वेतन/पेशन से वसूली/समाप्तोजन की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 136 (1) / XXVII(7)40 / 2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संस्थाक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून।
5. संस्थ सचिव, जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/ बरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।